

28/10/2015 पञ्जाबली फंश डुरी दिनांक 24/10/2015 को श्रीमान विवेका बालोचर (अहोदयकी) उपायुक्त द्वारा दिये गये आदेश सुनकार्य होने से दिनांक 24/10/2015 को क्षेत्रीय अदालत दिनांक 11/10/2015 निपट कर गई। मुख्यतः नोटिस को ही पर प्रस्ता की गई।

11/10/2015 पञ्जाबली फंश डुरी जारी करी वकील उपस्थित। ~~उक्त मामले में लिए नोटिस आदेशों के लिए~~ पञ्जाबली दिनांक 01/10/2015 को जारी किया।

01/10/2015 पञ्जाबली फंश डुरी जारी करी वकील उपस्थित। उक्त उद्देश्य के लिए पञ्जाबली फंश डुरी जारी किया। उक्त पञ्जाबली दिनांक 19/10/2015 को जारी किया।

19/11/2015 पञ्जाबली फंश डुरी जारी करी वकील उपस्थित। वकील का कथन है कि उक्त मामले में पक्षकारानु के बीच आपसी सहमति से राजीनामा होकर दिनांक 31/10/2015 को वकालतनामा हो चुका है, जो कि

Not Press  
21/11/2015

अपनी...  
31/10/15 को...  
जिसकी...  
आज...  
अतः...  
पक्ष...  
अतः...  
नोटिस...  
उक्त...

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, ऋषभदेव

प्रीमती केकु

विपक्षी

प्रीमती इकीमाल

21-वा.

पत्रावली संख्या ..... 2 ..... सन् 2015

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई

अपंगीयक कार्यालय ऋषभदेव में दिनांक 03/15 को रजिस्टर्ड भी हो चुका है, जिसकी दृष्टावृत्ति पेश है। मामले में अब आगे और कोई कार्यवाही शेष नहीं है।  
उतः मामला इसी स्टेज पर नोट प्रेस करना चाहते हैं।

उतः वादीगण का कांड इसी स्टेज पर नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फॉर्मल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आदेश सुनाया गया।

अपंगीयक कार्यालय उपखंड अधिकारी  
ऋषभदेव